दिनांक 29.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 405/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद चन्दौली/थाना अलीनगर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 28-07-2026 को थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महादेवपुर रेलवे लाइन अंडरपास के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त दयाशंकर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना अलीनगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अलीनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दयाशंकर निवासी ग्राम जमालपुर थाना मतसेना जनपद फिरोजाबाद।

जनपद कन्नौज/थाना सौरिख

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 22 लाख रूपये कीमत की चोरी के 09 आईफोन व 28 मोबाइल फोन**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 29.07.2026 को थाना सौरिख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ऋषिभूमि तिराहा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–राजीव घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–भूरा उर्फ जितेन्द्र उर्फ रामपाल 3–साहिल

सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 22 लाख रूपये कीमत की चोरी के 09 आईफोन व 28 मोबाइल फोन, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राजीव के विरूद्ध जनपद इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर व कन्नौज के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि 14 अभियोग एवं अभियुक्त भूरा उर्फ जितेन्द्र उर्फ रामपाल के विरूद्ध जनपद मैनपुरी व कन्नौज के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सौरिख पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजीव निवासी कोकपुरा थाना फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा।

2–भूरा उर्फ जितेन्द्र उर्फ रामपाल निवासी गिहार कॉलोनी थाना करहल जनपद मैनपुरी।

3–साहिल निवासी गिहार कॉलोनी कस्बा व थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–लगभग 22 लाख रूपये कीमत की चोरी के 09 आईफोन व 28 मोबाइल फोन।

2–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद अमरोहा/थाना हसनपुर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 28.07.2026 की रात्रि थाना हसनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामपुर भूड़ रोड स्थित काशीराम कॉलोनी के पास से 04 अभियुक्तों 1– दिनेश

2–ईश्वरचन्द्र 3–बन्टी उर्फ बोबी 4–कुन्दन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना हसनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दिनेश निवासी ग्राम कल्याण वाली मढईया थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

2–ईश्वरचन्द्र निवासी मो0 अम्बेडकरनगर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

3–बन्टी उर्फ बोबी निवासी ग्राम बरौली थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर, हालपता रिफ्यूजी कॉलोनी थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

4–कुन्दन निवासी घोसीयान थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–चोरी की 10 दो पहिया वाहन।

जनपद मीरजापुर/थाना चिल्ह

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 2704 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 पिकअप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 29.07.2026 को थाना चिल्ह व आबकारी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम पुराना बाड़ा के पास से 02 अभियुक्तों 1–अमित कुमार 2–जैकी कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 2704 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब, 01 पिकअप वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना चिल्ह पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमित कुमार निवासी ग्राम प्रसादी इंग्लिस थाना अरवल जनपद अरवल बिहार।

2–जैकी कुमार निवासी ग्राम अरवल सिपाह थाना अरवल टाऊन जनपद अरवल बिहार।

बरामदगी

1—लगभग 15 लाख रूपये कीमत के 2704 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब।

2—01 पिकअप वाहन आदि।

- **जनपद मऊ/थाना रानीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना रानीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विकास उर्फ राजा को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना जैतपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 38 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना जैतपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/323/504/506 भादवि व 3(1) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आनन्द उर्फ झिनक को आजीवन कारावास व 38 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—24 (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना सेक्टर—24 पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 6 व 10 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मुकुल कुमार को 20 वर्ष के कारावास व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————